न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/03/2025	2025/1	07.01.2025	22.01.2026

1. तहसीलदार भू–अभिलेख अलवर जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र पोहकरमल जाति सोनी – (मृतक)
   1/1– गीता देवी बेवा स्व. बाबूलाल,
   1/2– महेन्द्र कुमार सोनी पुत्र स्व. बाबूलाल,
   1/3– कैलाश सोनी पुत्र स्व. बाबूलाल,
   1/4– आशा सोनी पुत्री स्व. बाबूलाल,
   निवासीयान ग्राम डढीकर तह. अलवर हाल निवासी अशोका टॉकीज के पीछे, वार्ड नंबर 15, अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा (राजकीय अभिभाषक) –वकील प्रार्थी
02–श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

प्रार्थी द्वारा जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र पोहकरमल जाति सोनी नि0 डढीकर तहसील अलवर जिला अलवर को आराजी हाल खसरा नंबर 2156 रकबा 1.77 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 2156 रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम डढीकर तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत् पटवारी हल्का तेहडपुर की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना मौके पर फसल पाई गयी।

अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है, जिससे उक्त आवंटन राज. कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को आराजी खसरा नंबर 2156 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके ग्राम डढीकर तहसील व जिला अलवर, का किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 2156 रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम डढीकर तहसील व जिला अलवर अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु आवंटन की गई थी। उक्त आवंटनशुदा आराजी पर अप्रार्थी आवंटी का बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन के उपरांत अप्रार्थी को उक्त आराजी की नियमानुसार गैरखातेदारी प्राप्त हुई है।

पटवारी हल्का ने गलत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सही तथ्य यह है कि मिन अप्रार्थी विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहा है जिस कारण स्वयं आराजी पर कार्य काश्तकारी करने में असमर्थ है इसलिए मिन अप्रार्थी ने अपनी उक्त आवंटनशुदा गैरखातेदारी की आराजी पर बंटाईदार से काश्त करवाता आ रहा है। पटवारी हल्का ने अपनी दैनिक डायरी दिनांक 08.11.2024 में स्वयं यह अंकित किया है कि उक्त आराजी पर अन्य व्यक्ति काबिज है और उसके द्वारा ही काश्त हो रही है जिससे यह स्पष्ट है कि आराजी पर काश्त हो रही है और आराजी कृषि कार्य हेतु ही उपयोग में आ रही है। लिहाजा आवंटन निरस्त करने का कोई विधिक आधार मौजूद नहीं हैं।

आवंटन केवल उसी सूरत में निरस्त किया जा सकता है, जबकि आराजी पर काश्त नहीं की जा रही हो और उसका गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा हो, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इस तरह का कोई मामला नहीं है न ही इस तरह की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। मिन अप्रार्थी आवंटी गैरखातेदार है तथा उसका यह अधिकार है कि वह अपनी आराजी पर स्वयं काश्त करे अथवा अपने किसी बंटाईदार से आराजी को काश्त कराये। बंटाईदार से काश्त कराना किसी भी प्रकार से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। आवंटन के बाद जब गैरखातेदारी हो चुकी है तो ऐसी सूरत में भी कानूनन गैरखातेदारी के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता तथा न ही आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। लिहाजा कार्यवाही कानूनन चलने योग्य नहीं है और खारिज होने योग्य है।

अलोटमेन्ट 1985 में हुआ था और तब से ही प्रार्थी का कब्जा व गैरखातेदारी दर्ज है तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के अनुसार आवंटन की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में तहसीलदार को स्वयं ही आवंटन के 3 वर्ष की अवधि में गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का प्रावधान है। किन्तु इतने लम्बे समय से गैरखातेदारी चली आ रही है। अप्रार्थी ने गिरवदावरी भी पेश की है जिसमें काश्त अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर काश्त हो रही है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए यह कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक की गई है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे तथा तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी को आवंटनशुदा गैरखातेदारी की आराजी की खातेदारी दर्ज करे। अति कृपा होगी।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में (मोहम्मदीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2014 आर.आर.डी. 740), [2014(2) RRT 1220] न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2055, संवत् 2071 से 2074 तथा हालिया संवत् 2080 व 2081 का अवलोकन करने पर स्थिति स्पष्ट होती है। संवत् 2080 की गिरदावरी में 'सरसों' एवं संवत् 2081 में 'बाजरा' की फसल का इंद्राज है। यह अकाट्य प्रमाण है कि विवादित भूमि बंजड नहीं पड़ी है, अपितु उस पर निरंतर कृषि कार्य हो रहा है।

जहां तक "स्वयं काश्त" के प्रश्न का संबंध है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 'खुदकाश्त' की परिभाषा में स्वयं के द्वारा, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, या वेतनभोगी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

नौकरों/बटाईदारों के माध्यम से की गई खेती भी शामिल है। अप्रार्थी का यह तर्क विधिक रूप से ग्राह्य है कि अस्वस्थता के कारण बटाईदार से खेती करवाना आवंटन शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, जब तक कि भूमि का उपयोग 'कृषि' के अलावा किसी अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए न किया जा रहा हो। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024 में भी यह स्वीकार किया गया है कि "उक्त भूमि अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है।" यह कथन स्वयं सिद्ध करता है कि भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ ही हो रहा है, जो कि आवंटन का मूल उद्देश्य है। 30–40 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद, जब भूमि पर फसलें हो रही हैं और राजस्व रिकॉर्ड में फसलें दर्ज हैं, आवंटन निरस्त करना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत (2014 (2) RRT 1220) एवं मोहम्मदीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (2014 RRD 740) में माननीय राजस्व मंडल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु हो रहा है और आवंटी का कब्जा बदस्तूर है चाहे वह बटाईदार के माध्यम से हो, तो मात्र तकनीकी आधारों पर लंबे समय (वर्ष 1985) से चले आ रहे आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के साक्ष्यों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की मूलभूत शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। भूमि पर कृषि कार्य बदस्तूर जारी है। चूँकि अप्रार्थीगण को आवंटन हुए एक लंबा अरसा (1985 से) व्यतीत हो चुका है और वे आवंटन की शर्तों की पालना कर रहे हैं, अतः वे नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः प्रार्थी तहसीलदार भू–अभिलेख, अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1970 अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी तहसीलदार, अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)